कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़)

E-mail,Id-dosukma2012gmail.com

क्रमांक/1131 /प्राचार्य/PM SHRI/भर्ती/2026-27 सुकमा, दिनांक 25/06/2026

// विज्ञापन//

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/821//SS/PM-SHRI/योगा/2026 रायपुर, दिनांक 05.06.2026 के अनुपालन में समग्र शिक्षा के पीएम श्री स्कूल शासकीय पोर्टकेबिन बालाटीकरा, छिन्दगढ. में अंशकालिक 10 माह के लिए सेवाएं लिये जाने हेतु योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक 01 पद हेतु प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय **राशि 10,000.00 रूपये (शब्दों में :- दस हजार रूपये मात्र)** निश्चित अवधि 31 मार्च 2027 तक हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक ..13..../...07../2026 को **समय 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे** तक वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाता है।

क्र.	पीएम श्री विद्यालय का नाम	पदनाम	पद संख्या	अनारक्षित			
				मुक्त	महिला	पुरूष	**योग**
01	पीएम श्री बालिका आवासीय पोर्टाकेबिन बालाटीकरा, छिन्दगढ़	योग/खेल शिक्षक/ प्रशिक्षक	01	01	0	0	**01**

आवश्यक योग्यता :-

- अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक पद हेतु -
- अंशकालीन खेल शिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या शारीरिक शिक्षा संबंधी क्षेत्र में (D.Y.Ed)/खेल शिक्षक, प्रशिक्षण (D.P.Ed की डिग्री वाले शिक्षको/प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा।
- अंशकालीन योगा प्रशिक्षक हेतु योग से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा समक्ष योग्यता के साथ पूर्व में योग प्रशिक्षण एवं सिखाने का अनुभव होना चाहिए।

नियम एवं शर्ते :-

- योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री एवं योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभवी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
- अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों का चयन इसी शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2027 तक) ही रहेगा। इसके बाद सेवाएं स्वतः समाप्त माना जावे।
- प्रशिक्षकों को किसी भी प्रकार का नियुक्ति/संविदा नियुक्ति का आदेश जारी नही किया जावेगा, केवल कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जावेगा।
- सेवा प्रदत्त योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह 10,000/- देय होगा।
- सेवा प्रदत्त द्वारा पीएम श्री विद्यालयों में बच्चों को योग/खेलों के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

- शाला के समय-सारिणी में संधारित रहेगा। प्रशिक्षण का समय संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधान पाठक तय करेंगे।
- योजना और किये गये कार्य का विवरण दैनिक डायरी बनाए रखे। जिसे स्कूल के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा।
- विद्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करें तथा सौंपे गये उत्तर दायित्वों को नियोजन करें।
- समग्र शिक्षा के ऑनलाईन पोर्टल में प्रशिक्षण कार्य जैसे-योग/स्मार्ट प्रशिक्षण दिया जाना है।

उपरोक्त पद के लिए अन्य सेवा शर्ते निम्नानुसार है :-

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए ही अस्थाई रूप से रखा जायेगा। एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाया जा सकेगी।
- शैक्षणिक योग्यता शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
- अभ्यार्थियों को रिक्त पदो के अनुसार दिये गये शैक्षणिक योग्यता एवं आर्हतायें विज्ञापन के तिथि के पूर्व होना चाहिए।
- उम्मीदवार छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- सभी पदो के चयन हेतु छत्तीसगढ राज्य के मुल निवासी होनी चाहिए मुल निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- अभ्यार्थी की आयु 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 से 35 वर्ष व 05 वर्ष की छूट होनी चाहिए।
- आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10 वीं परीक्षा प्रमाण पत्र/अंक सूची देना अनिवार्य होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रो की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटि पुर्ण आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा और न इन्हें पृथक से कोई सुचना दी जायेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार होगा।
- उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थायी एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जायेगा। अतः आवेदक कलेक्टर जिला-सुकमा को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र विचारणीय नही होगा।
- इन पदो पर नियुक्ति की प्रक्रिया वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in interview) चयन समिति द्वारा किया जावेगा। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति अध्यक्ष को होगा।
- उक्त नियुक्ति एकमुश्त मानेदय पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा। सेवा का स्वरूप निश्चित मानदेय पर आधारित रहेगा। सेवा समाप्ति के बाद नियुक्त कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नही की जावेगी।
- चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति कायदेश पत्र प्राप्ति के तुरन्त ही निर्धारित तिथि में अपने कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा प्रतिक्षा सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नही दी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

- विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय सुकमा के सूचना पटल एव www.sukma.govt.in अवलोकन की किया जावेगा।

वॉक इन इन्टरव्यू :-

योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक पद हेतु योग्य उम्मीदवारों को दिनांक 13/07/2026 को **स्थान आकार आवासीय संस्था सुकमा में प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे** तक पंजीयन एवं दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा। साक्षात्कार समय दोपहर 2.00 बजे से किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया :-

उम्मीदवार का चयन शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) में प्राप्त अंको का 40 प्रतिशत अंक, योगा शिक्षक प्रशिक्षण (D.Y.Ed)/खेल शिक्षक प्रशिक्षण (D.P.Ed) 40 प्रतिशत का अंक, 10 अंक साक्षात्कार का व 10 अंक अनुभव 10 (1 वर्ष का 2 अंक अधिक्तम 5 वर्ष का अनुभव 10 अंक) इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा जिला-सुकमा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner